

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 908 / 11-सी-FP/UP/Approach/143095/2021, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर 16, 2021

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-गोण्डा में इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि० द्वारा फरेन्दा-जरवल मार्ग-1ए (नव घोषित एन०एच०-30) के किमी० सं०-218.400 से 217.600 के मध्य बांयी पटरी पर गाटा सं०-1261 व 1262 पर स्थित ग्राम-सकरौरा नगर, तहसील-करनैलगंज, जिला-गोण्डा में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित 0.017248 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/२००/२०२१/एफ०सी०/३२१, दिनांक 18.08.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, देवीपाटन वृत्त, गोण्डा ने अपने पत्रांक-876/33-1, दिनांक 13.09.2021 एवं पत्रांक-800/33-1, दिनांक 06.09.2021 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त पत्रों की छायाप्रतियाँ सहित वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

18

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 908 / 11-सी-FP/UP/Approach/143095/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, देवीपाटन वृत्त, गोण्डा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।
4. वरिष्ठ प्रबन्धक (खुदरा बिक्री), लखनऊ मण्डलीय कार्यालय, इंडियन आयल कार्पो० लि०, कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ।

18

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

nc